[2009] 5 एस.सी.आर. 629

एम. रथिनास्वामी एवं अन्य

बनाम

तमिल नाडु राज्य एवं अन्य आदि

(2009 की दीवानी अपील सं. 2251)

8 अप्रैल, 2009

[आर.वी. रवीन्द्रन तथा मार्कण्डेय काटजू, न्यायमूर्तिगण]

तमिलनाडु राजस्व अधीनस्थ सेवा नियम — पदोन्नति — उप तहसीलदार के पद — नियम के अधीन प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायकों को पदोन्नत सहायकों की अपेक्षा अधिमान्य व्यवहार प्रदान किया जाना — प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायकों को सेवा के पाँच वर्ष पूर्ण होने पर वरिष्ठ पदोन्नत सहायकों से ऊपर स्थान प्रदान किया जाना तथा उन्हें उप तहसीलदार के रूप में पदोन्नति हेतु पात्र बनाया जाना — वैधता — अभिनिर्धारित किया गया : प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक तथा पदोन्नत सहायक, दोनों सहायकों के एक ही संवर्ग में समाहित हैं — अनेक पदोन्नत सहायक स्नातक अथवा स्नातकोत्तर थे — उन्होंने सहायक के संवर्ग में अधिक अवधि तक उसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया है — अतः, आक्षेपित नियम को सीमित अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए — नियमों की वैधता उस सीमा तक यथावत रखी जाती है, जहाँ वे प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायकों को उन पदोन्नत सहायकों पर वरीयता प्रदान करते हैं जो स्नातक नहीं हैं — तथापि, यह स्नातक पदोन्नत कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा — भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 14 तथा 16 — विधियों की व्याख्या।

इस अपील में विचारार्थ उत्पन्न प्रश्न संशोधित तमिलनाडु राजस्व अधीनस्थ सेवा नियमों की वैधता के संबंध में था, जिनके द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायकों को वरिष्ठ पदोन्नत सहायकों से ऊपर स्थान देकर तथा सहायक के रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उन्हें उप तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र बनाकर अधिमान्य व्यवहार प्रदान किया गया था।

अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1. तमिलनाडु राजस्व अधीनस्थ सेवा नियमों की वैधता उस सीमा तक यथावत रखी जाती है, जहाँ वे प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायकों को उन पदोन्नत सहायकों पर वरीयता प्रदान करते हैं जो स्नातक नहीं हैं, किन्तु यह स्नातक पदोन्नत कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। [कंडिका 31] [644-डी]

2.1. किसी वैधानिक उपबंध को असंवैधानिकता के दोष से बचाने के लिए कभी-कभी उस विधि की सीमित अथवा विस्तारित व्याख्या करनी पड़ती है। इसका कारण यह है कि व्याख्या का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय को किसी विधि को असंवैधानिक होने से बचाने के लिए प्रत्येक संभव प्रयास करना चाहिए। यदि एक व्याख्या देने पर विधि असंवैधानिक हो जाती है और दूसरी व्याख्या देने पर वह संवैधानिक बनी रहती है, तो न्यायालय को बाद वाली व्याख्या को वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि यह उपधारणा की जाती है कि विधायिका का अपने अधिकार-क्षेत्र का अतिक्रमण करने का आशय नहीं था। कभी-कभी संवैधानिक वैधता को बनाए रखने के लिए वैधानिक उपबंध को सीमित अर्थ में पढ़ना पड़ता है। [कंडिका 28 तथा 29] [643-सी, डी; 643-ई]

2.2. जहाँ तक प्रशिक्षण का संबंध है, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि पदोन्नत कर्मचारियों ने भी वही अनुभव प्राप्त किया है जो प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों ने प्राप्त किया है, और वास्तव में पूर्व वर्ग का अनुभव सामान्यतः प्रत्यक्ष भर्ती कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक लंबा होता है। अतः यह पदोन्नत कर्मचारियों के विरुद्ध विभेद करने का वैध आधार नहीं हो सकता। [कंडिका 18] [639-सी]

2.3. वास्तव में अनेक पदोन्नत कर्मचारी उस समय भी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर थे जब उन्होंने कनिष्ठ सहायक के रूप में सेवा ग्रहण की थी, तथा कुछ ने कनिष्ठ सहायक के रूप में सेवा ग्रहण करने के पश्चात स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। अतः इन स्नातक/स्नातकोत्तर कर्मचारियों को प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की तुलना में समान व्यवहार से वंचित करने का कोई युक्तिसंगत आधार नहीं था। यदि कोई पदोन्नत सहायक भी स्नातक है, तो उसके विरुद्ध विभेद का कोई वैध आधार नहीं है और उसके साथ प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक के समान व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास भी उपाधि है। अतः आक्षेपित संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 का उल्लंघन

करने से बचाने के लिए सीमित अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए तथा उसकी ऐसी व्याख्या की जानी चाहिए कि वह उन पदोन्नत सहायकों पर लागू न हो जो स्नातक/स्नातकोत्तर भी हैं। आक्षेपित संशोधन केवल प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायकों को उप तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के प्रयोजनार्थ उन पदोन्नत सहायकों से ऊपर स्थान प्रदान करेगा जो स्नातक नहीं हैं। [कंडिका 19, 21, 22 तथा 27] [639-डी, ई; 643-बी; 640-सी]

2.4. प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक तथा पदोन्नत सहायक, दोनों को सहायकों के एक ही संवर्ग में समाहित कर दिया गया है। इस समाकलन के पश्चात भी पदोन्नति के प्रयोजनार्थ उच्चतर शैक्षिक योग्यता आगे वर्गीकरण का संभवतः एक युक्तिसंगत आधार हो सकती है, किन्तु प्रत्यक्ष भर्ती कर्मचारियों तथा उन पदोन्नत सहायकों, जिन्होंने कनिष्ठ सहायक के रूप में नियुक्त होने से पूर्व अथवा उसके पश्चात स्नातक की योग्यता प्राप्त कर ली है, के बीच आगे कोई वर्गीकरण निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता। एक बार जब कोई पदोन्नत कर्मचारी स्नातक बन जाता है, तब उसके विरुद्ध प्रत्यक्ष भर्ती कर्मचारियों की तुलना में विभेद करने का कोई युक्तिसंगत आधार नहीं रह जाता। [कंडिका 25] [641-एच; 642-ए, बी]

2.5. यह संभव है कि कुछ मामलों में शैक्षिक योग्यताओं का अंतर इतना पर्याप्त न हो कि एक वर्ग के अभ्यर्थियों को दूसरे वर्ग के अभ्यर्थियों की तुलना में कोई अधिमान्य व्यवहार प्रदान किया जा सके, और इसलिए यह प्रश्न कि वर्गीकरण युक्तिसंगत है या नहीं, आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा संबंधित समय पर विद्यमान परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तथापि, यह प्रश्न कि शैक्षिक योग्यताओं का अंतर एक वर्ग के अभ्यर्थियों को दूसरे वर्ग के अभ्यर्थियों की अपेक्षा अधिमान्य व्यवहार प्रदान करने के लिए पर्याप्त है या नहीं, सामान्यतः कार्यपालिका प्राधिकारियों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। प्रशासनिक विषयों में कार्यपालिका प्राधिकारियों को विशेषज्ञता प्राप्त होती है और सामान्यतः इस न्यायालय के लिए उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील के रूप में बैठना उचित नहीं है, जब तक कि वह निर्णय पूर्णतः मनमाना अथवा अत्यंत चौंकाने वाला न हो। यह प्रश्न कि स्नातक उपाधि, पदोन्नति के लिए स्नातक एवं गैर-स्नातक कर्मचारियों के मध्य वर्गीकरण का पर्याप्त आधार है या नहीं, तथा क्या ऐसे वर्गीकरण का उप तहसीलदार के कर्तव्यों की प्रकृति से

युक्तिसंगत संबंध है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है, न्यायालय द्वारा नहीं। [कंडिका 26] [642-डी-जी]

रूप चंद अडलखा एवं अन्य बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं अन्य **ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 307 — अवलंबित।**

जम्मू एवं कश्मीर राज्य बनाम त्रिलोकी नाथ खोसा एवं अन्य **ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 1**; *मोहम्मद शुजात अली एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य* **ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 1631;** *हिन्दू महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम,* **ए.आई.आर. 1945 एफ.सी. 28** *के संबंध में; तथा केदारनाथ बनाम बिहार राज्य* **ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 955 — संदर्भित।**

न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह द्वारा "विधियों की व्याख्या", 7 **वाँ संस्करण, 1999, पृष्ठ 414-417 — संदर्भित।**

वाद विधि संदर्भ :

ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 1	**संदर्भित**	**कंडिका 23**
ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 1631	**संदर्भित**	**कंडिका 23**
ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 307	**अवलंबित**	**कंडिका 24**
ए.आई.आर. 1945 एफ.सी. 28	**संदर्भित**	**कंडिका 29**
ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 955	**संदर्भित**	**कंडिका 29**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : दीवानी अपील सं. 2251/2009।

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं. 27173/2003 में पारित दिनांक 10.9.2005 के निर्णय एवं आदेश से।

सहित

दीवानी अपील सं. 2252/2009।

एम. रथिनास्वामी एवं अन्य

बनाम

तमिलनाडु राज्य एवं अन्य

पी.पी. राव, नलिनी चिदम्बरम, वी. बालाचन्द्रन, सुनीता ओझा तथा विकास मेहता, अपीलकर्ताओं की ओर से।

एम.एन. राव, ए. मरियारपुत्थम, ए.वी. रंगम, बडी ए. रंगनाथन, ए. सुभाषिणी, आर. नेडुमारण, पी. सोमसुन्दरम तथा एल.के. पाण्डेय, उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय प्रदान किया गया द्वारा

मार्कण्डेय काटजू, न्यायमूर्ति 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. ये विशेष अनुमति द्वारा अपीलें, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं. 27173/2003 तथा 5022/2008 में क्रमशः दिनांक 10.09.2005 तथा 27.02.2008 को पारित आक्षेपित निर्णयों के विरुद्ध संस्थित की गई हैं।

3. चूँकि इन दोनों अपीलों में विधि तथा तथ्य के समान प्रश्न सम्मिलित हैं, इसलिए उनका निस्तारण इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5. अपीलकर्ता पदोन्नत सहायक हैं, जो तमिलनाडु राज्य के राजस्व विभाग में कनिष्ठ सहायकों के पद से पदोन्नत होकर तमिलनाडु मंत्रिस्तरीय सेवा नियमों द्वारा शासित हैं। उन्हें तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (जिसे आगे "आयोग" कहा गया है) द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात कनिष्ठ सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। यद्यपि कनिष्ठ सहायक के पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एस.एस.एल.सी. थी, तथापि यह अभिकथित किया गया है कि कनिष्ठ सहायक के पद पर उनके चयन के समय भी अधिकांश अपीलकर्ता स्नातक अथवा स्नातकोत्तर थे, तथा अनेक ने सेवा में रहते हुए बाद में अपनी स्नातक उपाधि पूर्ण की।

6. सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए कनिष्ठ सहायकों में से पदोन्नति की जा सकती है, और लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रत्यक्ष भर्ती भी की जा सकती है। प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक उपाधि है।

7. सहायकों की पदोन्नति उप तहसीलदार के पद पर की जाती है, जो तमिलनाडु राजस्व अधीनस्थ सेवा नियमों द्वारा शासित है। उप तहसीलदार के रूप में

पदोन्नत होने पर, एक सहायक को मंत्रिस्तरीय सेवा से राजस्व अधीनस्थ सेवा में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

8. पदोन्नत सहायकों, अर्थात् ऐसे सहायकों जिन्होंने कनिष्ठ सहायक के पद से पदोन्नति प्राप्त की थी और जो प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं थे, ने तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण, चेन्नई के समक्ष ओ.ए. सं. 5710/1992 तथा उससे संबद्ध याचिकाएँ संस्थित कीं, जिनमें उन्होंने तमिलनाडु सरकार के राजस्व विभाग के शासनादेश सं. 884 दिनांक 12.8.1992 तथा उसके परिणामस्वरूप जारी शासनादेश सं. 133, राजस्व विभाग, दिनांक 7.2.1995 को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की। वर्ष 1992 के शासनादेश में *अन्य बातों के साथ* यह कहा गया था कि पात्र प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायकों को पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात *उप तहसीलदार के रूप में पदोन्नति हेतु सूची में सम्मिलित किए जाने पर विचार किया जा सकता है तथा उन्हें स्थानांतरित रिक्तियों के नीचे और पदोन्नत सहायकों के ऊपर सूची के शीर्ष भाग में रखा जा सकता है।* वर्ष 1995 के शासनादेश द्वारा तमिलनाडु राजस्व अधीनस्थ सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किया गया।

9. आक्षेपित शासनादेश सं. 133, राजस्व विभाग, दिनांक 7.2.1995, तमिलनाडु राजस्व अधीनस्थ सेवा नियमों के अनुलग्नक-III के मद (ii) में संशोधन करते हुए तथा दो उपबंध जोड़ते हुए पारित किया गया, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायकों को अधिमान्य व्यवहार प्रदान किया गया। उन्हें सहायक के रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उप तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र बनाया गया तथा *वरिष्ठ पदोन्नत सहायकों से ऊपर स्थान दिया गया।*

10. तमिलनाडु राजस्व अधीनस्थ सेवा नियमों के अनुलग्नक-III के मद (ii) का संशोधन से पूर्व तथा संशोधन के पश्चात का पाठ निम्नानुसार है:—

दिनांक 7.2.1995 के शासनादेश द्वारा संशोधन से पूर्व	दिनांक 7.2.1995 के शासनादेश द्वारा संशोधित होने के पश्चात्
यह भी उपबंधित किया जाता है कि राजस्व बोर्ड के कार्यालय में प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त एक सहायक, यदि उसने सभी विहित परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर ली हों तथा दो वर्ष तक फिरका राजस्व निरीक्षक के रूप में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और अन्यथा भी पात्र हो, तो कुल पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर मद्रास नगर के लिए उप तहसीलदारों की अनुमोदित सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने का पात्र होगा।	यह भी उपबंधित किया जाता है कि पूर्ववर्ती राजस्व बोर्ड के कार्यालय में प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त एक सहायक, जिसने कुल पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, सभी विहित परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर ली हों तथा दो वर्ष की अवधि तक फिरका राजस्व निरीक्षक के रूप में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, मद्रास नगर के लिए उप तहसीलदारों की अनुमोदित सूची में अपना नाम उन वरिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर सम्मिलित किए जाने का पात्र होगा, जिन्हें प्रत्यक्ष भर्ती के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से नियुक्त किया गया हो, अथवा यदि उसका नाम पहले से ही उप तहसीलदारों की सूची में सम्मिलित किया जा चुका हो, तो ऐसे वरिष्ठ व्यक्तियों के ऊपर उसकी वरिष्ठता के पुनर्निर्धारण का पात्र होगा। उसके दावे पर विचार स्थानांतरित रिक्तियों के पश्चात आने वाली प्रथम रिक्ति के विरुद्ध किया जाएगा। जिला राजस्व इकाई में प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त एक सहायक के संबंध में भी इसी प्रकार का एक उपबंध जोड़ा गया है।

11. अपीलकर्ताओं की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती नलिनी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित संशोधन ने उप तहसीलदार के रूप में पदोन्नति प्राप्त करने के लिए पदोन्नत सहायकों के निहित अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :-

कोयंबटूर जिले में, वर्ष 1991 की पदोन्नत सहायकों की सूची से संबंधित निम्नलिखित सहायक, अपनी किसी त्रुटि के बिना, अभी भी सहायक के रूप में कार्यरत हैं :-

(1) आर. सरस्वती (2) वी. पार्वतम (3) सी. मनोहरन (4) आर. सुब्रमणियम (5) टी. शिवज्योति (6) वी. प्रेमा सुंदरी (7) एस. सुब्रमणियन (8) वी. नरसिम्हन (9) डी. धनपाल (10) के. थंगावेलु (11) एस. रतिना (12) एस. रथिनास्वामी (13) डी. लियोन पीटर।

दूसरी ओर, शिवसुब्रमणियम नामक एक प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक, जिसका नाम कोयंबटूर जिले की वर्ष 2004 की सहायकों की सूची में सम्मिलित किया गया था, उसे वर्ष 2008 के लिए जिले की उप तहसीलदारों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है और वह उप तहसीलदार के रूप में कार्य कर रहा है।

मदुरै जिले में, याचिकाकर्ताओं में से एक एम. कालीमुथु, जो वर्ष 1984 की पदोन्नत सहायकों की सूची से संबंधित था, उसका नाम वर्ष 2004 के लिए उप तहसीलदारों की सूची में क्रम सं. 5 पर सम्मिलित किया गया।

वह बीस वर्ष से अधिक समय तक उप तहसीलदारों के पैनल की प्रतीक्षा करता रहा, किन्तु वर्ष 1997 की सहायकों की सूची में सम्मिलित चार प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायकों को वर्ष 2004 में ही उप तहसीलदारों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया।

पदोन्नत कर्मचारी एम. कालीमुथु तथा प्रत्यक्ष भर्ती कर्मचारियों की तुलना निम्नानुसार है :-

1. वी. बास्करन — वर्ष 1997 में प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक।
2. आर. मंगला राम सुब्रमणियम — वर्ष 1997 में प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक।
3. एन. नूरजहाँ बेगम — वर्ष 1997 में प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक।

4. एम. परमेश्वरी — वर्ष 1997 में प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक।

5. एम. कालीमुथु — वर्ष 1984 में पदोन्नत सहायक।

तमिलनाडु के शेष जिलों में भी इसी प्रकार की स्थिति विद्यमान है।

12. तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण ने अपने दिनांक 26.2.1997 के आदेश द्वारा आक्षेपित नियम को निरस्त कर दिया था, किन्तु उस निर्णय को उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 10.9.2005 द्वारा उलट दिया और इसी कारण यह विशेष अनुमति द्वारा अपील संस्थित की गई है।

13. अपीलकर्ताओं की विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एक बार प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक तथा पदोन्नत सहायकों को सहायकों के एक ही संवर्ग में समाहित कर दिया गया, तो उप तहसीलदार के रूप में आगे पदोन्नति के प्रयोजनार्थ आगे का वर्गीकरण अनुमेय नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पदोन्नत सहायकों में अनेक ऐसे हैं जिनके पास स्नातक तथा यहाँ तक कि स्नातकोत्तर की योग्यता भी है और उन्होंने प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायकों की अपेक्षा अधिक अवधि तक सहायकों के संवर्ग में उसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अतः उन्होंने प्रस्तुत किया कि उप तहसीलदार के रूप में पदोन्नति पर विचार किए जाने के लिए सभी स्नातक सहायकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे वे पदोन्नत कर्मचारी हों अथवा प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारी। हम इस प्रस्तुति से सहमत होने की प्रवृत्ति रखते हैं।

14. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायकों को अधिमान्य व्यवहार प्रदान किया जाना उचित था, क्योंकि पूर्ववर्ती परिवीक्षाधीन राजस्व निरीक्षक, जिनका स्थान अब प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायकों (उच्च श्रेणी लिपिकों) ने ले लिया है, ऐसे अधिमान्य व्यवहार का लाभ प्राप्त करते थे। इस तर्क का अपीलकर्ताओं की विद्वान अधिवक्ता ने खण्डन किया और प्रस्तुत किया कि यह कहना सही नहीं है कि परिवीक्षाधीन राजस्व निरीक्षकों को अधिमान्य व्यवहार प्राप्त था, क्योंकि तमिलनाडु मंत्रिस्तरीय सेवा के पूर्ववर्ती अनुलग्नक VIII में निहित संबंधित नियम 5 ए, जो परिवीक्षाधीन राजस्व निरीक्षकों से संबंधित था, केवल यह उपबंधित करता था कि किसी वर्ष में परिवीक्षाधीन राजस्व निरीक्षक के रूप में भर्ती व्यक्तियों की वरिष्ठता उस वर्ष राजस्व विभाग में नियुक्त सहायकों की सूची में प्रथम निर्धारित की जाएगी। अतः उन्होंने तर्क दिया कि परिवीक्षाधीन राजस्व निरीक्षकों को केवल *उसी वर्ष* के अन्य सहायकों के ऊपर वरिष्ठता प्रदान की गई थी, अर्थात् केवल सहायकों की सूची में, न कि उप तहसीलदारों की सूची में।

15. हमारे मत में, इस विवाद का निर्णय करना आवश्यक नहीं है क्योंकि वर्तमान वाद के निर्णय में इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा।

16. दिनांक 7.2.1995 के संशोधन द्वारा, वे प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक जिन्होंने पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है तथा कुछ अन्य मानदंडों को पूरा कर लिया है, उन्हें उप तहसीलदार के रूप में पदोन्नति हेतु अनुमोदित सूची में *उनके उन वरिष्ठ कर्मचारियों से ऊपर रखा जाता है जो पदोन्नत सहायक हैं।* यह तर्क दिया गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 का उल्लंघन है।

17. उत्तरदाताओं की ओर से दाखिल प्रतिशपथपत्र में यह कहा गया है कि प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायकों को वरीयता प्रदान करने का औचित्य यह था कि उनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक थी, जबकि पदोन्नत कर्मचारियों की योग्यता उस समय वरिष्ठ विद्यालय अधिगम प्रमाणपत्र (एस.एस.एल.सी.) थी जब उन्होंने कनिष्ठ सहायक के रूप में सेवा ग्रहण की थी। अतः यह अभिकथित किया गया कि उपाधिधारी औसत प्रत्यक्ष भर्ती सहायक, केवल एस.एस.एल.सी. योग्यता वाले औसत कनिष्ठ सहायकों की तुलना में बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ होते हैं। यह भी तर्क दिया गया कि प्रत्यक्ष भर्ती कर्मचारियों को पाँच वर्ष का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

18. जहाँ तक प्रशिक्षण का संबंध है, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि पदोन्नत कर्मचारियों ने भी वही अनुभव प्राप्त किया है जो प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों ने प्राप्त किया है, और वास्तव में पूर्व वर्ग का अनुभव सामान्यतः प्रत्यक्ष भर्ती कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक लंबा होता है। अतः यह पदोन्नत कर्मचारियों के विरुद्ध विभेद करने का वैध आधार नहीं हो सकता।

19. अपीलकर्ताओं की विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वास्तव में अनेक पदोन्नत कर्मचारी उस समय भी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर थे जब उन्होंने कनिष्ठ सहायक के रूप में सेवा ग्रहण की थी, तथा कुछ ने कनिष्ठ सहायक के रूप में सेवा ग्रहण करने के पश्चात स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। अतः उन्होंने प्रस्तुत किया कि इन स्नातक/स्नातकोत्तर कर्मचारियों को प्रत्यक्ष भर्ती कर्मचारियों की तुलना में समान व्यवहार से वंचित करने का कोई युक्तिसंगत आधार नहीं था। हम इस तर्क से सहमत हैं। यदि कोई पदोन्नत सहायक भी स्नातक है, तो उसके विरुद्ध विभेद का कोई वैध आधार नहीं है और उसके साथ प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक के समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

20. अपीलकर्ताओं की विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान तमिलनाडु राजस्व अधीनस्थ सेवा नियमों के नियम 5(एफ) की ओर आकर्षित किया, जो निम्नानुसार है :-

> "सूची तैयार करते समय, चयन प्राधिकारी तहसीलदार अथवा उप तहसीलदार, जैसा भी मामला हो, के रूप में नियुक्ति हेतु अपने द्वारा चयनित व्यक्तियों के नामों को अपने द्वारा निर्धारित वरीयता के क्रम में व्यवस्थित करेगा, और यह वरीयता योग्यता, क्षमता तथा वरिष्ठता पर आधारित होगी।"

उन्होंने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित संशोधन, उपर्युक्त नियम को स्पष्ट रूप से निरसित किए बिना, व्यावहारिक रूप से उसे निष्प्रभावी कर देता है।

21. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में (कंडिका 22 देखें) यह अवलोकन किया है कि किसी स्नातक को गैर-स्नातक के समान नहीं कहा जा सकता, और इसी तर्क के आधार पर उच्च न्यायालय ने आक्षेपित नियम की वैधता को यथावत रखा है।

22. हमारे मत में, उत्तरदाताओं तथा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इसी तर्क के अनुसार, एक पदोन्नत सहायक जो स्वयं भी स्नातक है, उसे प्रत्यक्ष भर्ती कर्मचारियों के समान स्तर पर रखा जाना चाहिए क्योंकि उसके पास भी उपाधि है। हमारे मत में, अतः हमें आक्षेपित संशोधन को सीमित अर्थ में पढ़ना होगा तथा उसकी ऐसी व्याख्या करनी होगी कि वह उन पदोन्नत सहायकों पर लागू न हो जो स्नातक/स्नातकोत्तर भी हैं। दूसरे शब्दों में, आक्षेपित संशोधन केवल प्रत्यक्ष भर्ती कर्मचारियों को उप तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के प्रयोजनार्थ उन पदोन्नत सहायकों से ऊपर स्थान प्रदान करेगा जो गैर-स्नातक हैं।

23. यह सत्य है कि *जम्मू एवं कश्मीर राज्य बनाम त्रिलोकी नाथ खोसा एवं अन्य,* ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 1 में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने यह अवलोकन किया था कि यद्यपि प्रत्यक्ष नियुक्ति तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को सहायक अभियंताओं के एक सामान्य वर्ग में समाहित कर दिया गया था, तथापि कार्यपालक अभियंताओं के संवर्ग में पदोन्नति के प्रयोजनार्थ उनका वर्गीकरण शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जा सकता है। तथापि, *मोहम्मद शुजात अली एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य,* ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 1631 में इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ ने *त्रिलोकी नाथ खोसा वाद* (उपर्युक्त) में प्रतिपादित सिद्धांत को सीमित करते हुए यह अवलोकन किया कि उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए, यदि *उच्चतर पद के कर्तव्यों अथवा उत्तरदायित्वों की प्रकृति द्वारा शैक्षिक योग्यता* पर आधारित विभेद आवश्यक नहीं बनाया गया है, तो ऐसा विभेद संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

24. *रूप चंद अडलखा एवं अन्य बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं अन्य,* ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 307 में, इस न्यायालय ने त्रिलोकी नाथ *खोसा वाद* (उपर्युक्त) तथा *मोहम्मद शुजात अली वाद* (उपर्युक्त) का संज्ञान लेते हुए कंडिका 7 में निम्नानुसार अवलोकन किया :-

> "7. .... यदि योग्यताओं में अंतर का पदोन्नति पद के साथ जुड़े तथा उससे संबंधित कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की प्रकृति से युक्तिसंगत संबंध हो, तो उच्चतर तकनीकी योग्यता रखने वालों को अधिक लाभप्रद व्यवहार प्रदान करना वर्गीकरण के सिद्धांत के आधार पर वैध ठहराया जा सकता है। यह संभव है कि कुछ मामलों में शैक्षिक योग्यताओं का अंतर इतना पर्याप्त न हो कि एक वर्ग के अभ्यर्थियों को दूसरे वर्ग के अभ्यर्थियों की अपेक्षा कोई अधिमान्य व्यवहार प्रदान किया जा सके। इसलिए यह प्रश्न कि वर्गीकरण युक्तिसंगत है या नहीं, आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा संबंधित समय पर विद्यमान परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जब राज्य दो स्रोतों के मध्य वर्गीकरण करता है, तब, जब तक वर्गीकरण का दोष उसके मुखपृष्ठ पर ही स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर न हो, उस वर्गीकरण को चुनौती देने वाले व्यक्ति को यह प्रदर्शित करना होगा कि वह अविवेकपूर्ण है तथा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। सभी वर्गों के कर्मचारियों के मध्य, सभी भेदों, योग्यताओं अथवा कार्य की आवश्यकताओं की उपेक्षा करते हुए, यांत्रिक समानता न तो संवैधानिक रूप से अनिवार्य है और न ही व्यवहारिक रूप से सार्थक। इस न्यायालय ने जनरल मैनेजर, दक्षिण मध्य रेलवे बनाम ए.वी.आर. सिद्धान्ति, (1974) 3 एस.सी.सी. 207, पृष्ठ 214 : (ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 1755, पृष्ठ 1760) में अवलोकन किया था :"
>
> > "...... सभी वर्गों के कर्मचारियों के मध्य, उनकी योग्यताओं, कार्य के प्रकार, उत्तरदायित्वों की प्रकृति तथा कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन की उपेक्षा करते हुए यांत्रिक समानता का आशय न तो है और न ही यदि प्रशासन को सुचारु रूप से चलाना है तो वह व्यवहारिक रूप से संभव है। वास्तव में, ऐसी 'वर्गविहीन' तथा विवेकहीन 'समानता' को बनाए रखना, जहाँ वस्तुतः स्पष्ट असमानताएँ तथा बोधगम्य विभेद विद्यमान हों, इस गारंटी को उसके व्यावहारिक सार से वंचित कर देगा। कारण,

> कार्यपालिका की व्यवहारिक आवश्यकताओं तथा अनुभव पर आधारित व्यापक वर्गीकरण, जिसका प्रशासनिक दक्षता की प्राप्ति से प्रत्यक्ष संबंध हो, अनुमेय है......"

25. वर्तमान मामले में, प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक तथा पदोन्नत सहायक, दोनों को सहायकों के एक ही संवर्ग में समाहित कर दिया गया है। निस्संदेह, इस समाकलन के पश्चात भी आगे पदोन्नति के प्रयोजनार्थ उच्चतर शैक्षिक योग्यता आगे वर्गीकरण का एक युक्तिसंगत आधार हो सकती है, किन्तु हमारे मत में प्रत्यक्ष भर्ती कर्मचारियों तथा उन पदोन्नत सहायकों के मध्य, जिन्होंने कनिष्ठ सहायक के रूप में नियुक्त होने से पूर्व अथवा उसके पश्चात स्नातक की योग्यता प्राप्त कर ली है, आगे कोई वर्गीकरण निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता। एक बार जब कोई पदोन्नत कर्मचारी स्नातक बन जाता है, तब हमें उसके विरुद्ध प्रत्यक्ष भर्ती कर्मचारियों की *तुलना में* विभेद करने का कोई युक्तिसंगत आधार दिखाई नहीं देता।

26. जहाँ तक गैर-स्नातक पदोन्नत सहायकों का संबंध है, हमारा मत है कि सामान्यतः यह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है कि उनकी योग्यता का उप तहसीलदार के पदोन्नति पद के साथ जुड़े तथा उससे संबंधित कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों की प्रकृति से युक्तिसंगत संबंध है अथवा नहीं। यह सत्य है कि रूप चंद अडलखा वाद (उपर्युक्त) में अवलोकन किया गया था कि यह संभव है कि कुछ मामलों में शैक्षिक योग्यताओं का अंतर इतना पर्याप्त न हो कि एक वर्ग के अभ्यर्थियों को दूसरे वर्ग के अभ्यर्थियों की अपेक्षा कोई अधिमान्य व्यवहार प्रदान किया जा सके, और इसलिए यह प्रश्न कि वर्गीकरण युक्तिसंगत है या नहीं, आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा संबंधित समय पर विद्यमान परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तथापि, हमारे मत में यह प्रश्न कि शैक्षिक योग्यताओं का अंतर एक वर्ग के अभ्यर्थियों को दूसरे वर्ग के अभ्यर्थियों की अपेक्षा अधिमान्य व्यवहार प्रदान करने के लिए पर्याप्त है या नहीं, सामान्यतः कार्यपालिका प्राधिकारियों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। प्रशासनिक विषयों में कार्यपालिका प्राधिकारियों को विशेषज्ञता प्राप्त होती है और सामान्यतः इस न्यायालय के लिए उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील के रूप में बैठना उचित नहीं है, जब तक कि वह निर्णय पूर्णतः मनमाना अथवा अत्यंत चौंकाने वाला न हो। हमारे मत में, यह प्रश्न कि स्नातक उपाधि, पदोन्नति के लिए स्नातक एवं गैर-स्नातक कर्मचारियों के मध्य वर्गीकरण का पर्याप्त आधार है या नहीं, तथा क्या ऐसे वर्गीकरण का उप तहसीलदार के कर्तव्यों की प्रकृति से युक्तिसंगत संबंध है, राज्य

सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है, न्यायालय द्वारा नहीं। अतः हम आक्षेपित नियम की वैधता को उस सीमा तक यथावत रखते हैं, जहाँ वह प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायकों को उन पदोन्नत सहायकों पर वरीयता प्रदान करता है जो गैर-स्नातक हैं।

27. तथापि, हम उन पदोन्नत सहायकों, जो स्नातक हैं, की अपेक्षा प्रत्यक्ष भर्ती कर्मचारियों को वरीयता प्रदान करने का कोई युक्तिसंगत आधार नहीं पाते, क्योंकि उत्तरदाताओं द्वारा किए गए विभेद का मूल आधार ही यह है कि प्रत्यक्ष भर्ती कर्मचारी स्नातक हैं और इसलिए गैर-स्नातकों की अपेक्षा बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ हैं। अतः हमें आक्षेपित नियम को सीमित अर्थ में पढ़ना होगा ताकि उसे संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 का उल्लंघन करने वाला बनने से बचाया जा सके।

28. यह सुस्थापित है कि किसी वैधानिक उपबंध को असंवैधानिकता के दोष से बचाने के लिए कभी-कभी उस विधि की सीमित अथवा विस्तारित व्याख्या करनी पड़ती है। इसका कारण यह है कि व्याख्या का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय को किसी विधि को असंवैधानिक होने से बचाने के लिए प्रत्येक संभव प्रयास करना चाहिए। यदि एक व्याख्या देने पर विधि असंवैधानिक हो जाती है और दूसरी व्याख्या देने पर वह संवैधानिक बनी रहती है, तो न्यायालय को बाद वाली व्याख्या को वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि यह उपधारणा की जाती है कि विधायिका का अपने अधिकार-क्षेत्र का अतिक्रमण करने का आशय नहीं था।

29. कभी-कभी संवैधानिक वैधता को बनाए रखने के लिए वैधानिक उपबंध को सीमित अर्थ में पढ़ना पड़ता है। इस प्रकार, *हिन्दू महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम के संदर्भ में,* ए.आई.आर. 1945 एफ.सी. 28 में, संघीय न्यायालय हिन्दू महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम, 1937 की वैधता पर विचार कर रहा था। अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बनाए रखने के लिए, संघीय न्यायालय ने "संपत्ति" शब्द का अर्थ "कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति" मानते हुए अधिनियम को अधिकार-सीमा के भीतर ठहराया। "संपत्ति" शब्द की यह सीमित व्याख्या इसलिए करनी पड़ी, क्योंकि अन्यथा अधिनियम असंवैधानिक हो जाता। इसी प्रकार, *केदारनाथ बनाम बिहार राज्य,* ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 955 में, इस न्यायालय को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124-ए की व्याख्या करनी पड़ी, जो राजद्रोह के अपराध से संबंधित है और उस व्यक्ति को दण्डनीय बनाती है जो "शब्दों द्वारा, चाहे वे बोले गए हों या लिखे गए हों, अथवा संकेतों या दृश्य निरूपणों द्वारा, या अन्यथा, विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना

उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयास करता है, अथवा असंतोष उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयास करता है।" इस न्यायालय ने उपर्युक्त शब्दों को सीमित अर्थ प्रदान किया ताकि वे केवल उन कृत्यों पर लागू हों जिनमें अव्यवस्था अथवा विधि और व्यवस्था के विघटन को उत्पन्न करने का आशय या प्रवृत्ति हो, अथवा हिंसा के लिए उकसावा सम्मिलित हो। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उक्त उपबंध संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) का उल्लंघन करने वाले न बन जाएँ, जो वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

30. इस विषय पर अनेक अन्य निर्णय न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्यूटरी इंटरप्रिटेशन (7 वाँ संस्करण, 1999, पृष्ठ 414-417) में दिए गए हैं।

31. उपर्युक्त कारणों से, इन अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और आक्षेपित निर्णय को आंशिक रूप से अपास्त किया जाता है; तथा यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि आक्षेपित नियम, जहाँ तक वह उप तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सहायकों को पदोन्नत कर्मचारियों से ऊपर स्थान प्रदान करता है, केवल उन पदोन्नत कर्मचारियों पर लागू होगा जो गैर-स्नातक हैं, किन्तु यह उन पदोन्नत कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो स्नातक हैं।

32. अपीलों का निस्तारण किया जाता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

अपीलों का निस्तारण किया गया।

एन.जे.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।